

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 69 /11-सी- FP/UP/Others/30840//2017, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 10, 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद-बुलन्दशहर में दिल्ली-कानपुर मार्ग (एन०एच०-91) के कि०मी० 60 (चैनेज 59.180) की दांयी पटरी के किनारे ग्राम लालपुर के खसरा सं०-165 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1689245 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/30840//2017

सन्दर्भ:- उ०प्र० शासन की पत्र सं० पी-103/81-2-2023-800(131)/2023, दिनांक-24.05.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ ने अपने पत्रांक-78/14-1, दि० 06.07.2023 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ द्वारा प्रेषित की गयी आपत्ति का निराकरण ऑनलाईन इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

18

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 69 /11-सी- FP/UP/Others/30840//2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बुलन्दशहर।
- 3- मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, थर्ड फ्लोर, संजय पैलेस, आगरा।

18

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।